भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1116
28 जुलाई, 2023 को जवाब दिया

समर्थ योजना का कार्यान्वयन

1116. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समर्थ योजना, जो मार्च 2024 के अंत तक शुरू की जाएगी, की समय-सीमा क्या है तथा इसके अंतर्गत क्या-क्या प्रमुख उपलब्धियाँ अपेक्षित है;

(ख) वस्त्र उद्योग में विशेष रूप से रोजगार सृजन और कौशल विकास के संदर्भ में समर्थ योजना से क्या परिणाम अपेक्षित हैं और इसका इस उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार समर्थ योजना के कार्यान्वयन में भागीदारों के चयन और इस भागीदारी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार समर्थ योजना के प्रभावी समन्वयन, संसाधन आवंटन और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए चयनित कार्यान्वयन भागीदारों के साथ किस प्रकार से सहयोग करेगी?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना एक मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है जिसे शुरुआत में वर्ष 2017-18 में मंजूरी दी गई थी। लगभग 3.5 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए समर्थ को 390 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख): यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। वस्त्र क्षेत्र में कौशल अंतर का निराकरण करना और सतत आजीविका का सृजन इस योजना के प्रमुख परिणाम मानदंड होने के कारण, कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 70% प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) लाभार्थियों और मुख्यधारा क्षेत्र के तहत अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों के लिए 90% को प्लेसमेंट प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। पारंपरिक वस्त्र पाठ्यक्रमों में शुरू किए कौशल प्रशिक्षण के लिए स्वरोजगार का प्रावधान उपलब्ध है। समर्थ के तहत दिनांक 23.07.2023 तक 1.84 लाख प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) लाभार्थियों में से 1.27 लाख लाभार्थियों को स्वरोजगार सहित प्लेसमेंट प्रदान किया गया है।

(ग): समर्थ के तहत कार्यान्वयन भागीदारों को एक सुव्यवस्थित पारदर्शी प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफपी) की प्रक्रिया के माध्यम से पैनलबद्ध किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने और मूल्यांकन प्रक्रिया सहित सभी चरण संबंधित प्रयोक्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के साथ सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। पात्र आवेदक एजेंसियों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का 100% भौतिक सत्यापन वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाता है। एजेंसियों को डेस्क मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन के परिणाम के अध्यधीन सूचीबद्ध किया जाता है।

(घ): योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आसानी और प्रभावी निगरानी के लिए एक मजबूत वेब आधारित एमआईएस का संचालन किया गया है। एमआईएस में प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति से संबंधित जानकारी के आधार पर, कार्यान्वयन भागीदारों से नियमित आधार पर समन्वय किया जाता है और प्रशिक्षण लक्ष्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्वरित सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, क्लस्टर-वार क्षेत्र के दौरे भी किए जाते हैं।

*****